आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Directorate of Tourism, Government of Maharashtra

Agri Tourism Policy

महाराष्ट्र में किसानों और किसान समूहों द्वारा चलाए जाने वाले खेत आधारित पर्यटन केंद्रों का पंजीकरण होता है, ताकि वे दिन की सैर, खेत में ठहराव और खेत की उपज की बिक्री से अतिरिक्त आमदनी कमा सकें।

क्या मिल सकता है

पंजीकृत कृषि पर्यटन केंद्र को पर्यटन विभाग से पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलता है। इस प्रमाणपत्र से बैंक से कर्ज लेने में मदद मिलती है। पर्यटन धोरण 2024 में किसानों के लिए लाइसेंस, केंद्र के लिए गैर कृषि अनुमति से छूट, होमस्टे के लिए घरेलू दर पर बिजली, और पर्यटन संचालनालय द्वारा प्रशिक्षण व प्रचार भी जोड़ा गया है।

किसके लिए है

महाराष्ट्र के किसान, किसानों की सहकारी संस्थाएं और किसान कंपनियां जो अपने खेत पर साइड बिजनेस के रूप में पर्यटन केंद्र चलाना चाहती हैं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक अकेला किसान, किसानों की सहकारी संस्था, किसान कंपनी या भागीदारी फर्म, कृषि विज्ञान केंद्र, या कृषि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हो सकता है।
- खेती मुख्य व्यवसाय रहनी चाहिए और पर्यटन केवल पूरक व्यवसाय।
- केंद्र किसी शहर की सीमा से कम से कम 1 किमी दूर गांव में, कम से कम 1 एकड़ खेती की जमीन पर होना चाहिए। स्कूल पिकनिक कराने के लिए कम से कम 5 एकड़ चाहिए।
- अकेले किसान के लिए जमीन का 7/12 उतारा किसान या उसके परिवार के सदस्य के नाम पर होना चाहिए।
- केंद्र में भोजन, साफ पीने का पानी और शौचालय देना होगा, और कक्षा 5 से 10 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम एक शैक्षणिक सैर करानी होगी।

दस्तावेज़

- खेती की जमीन का 7/12 और 8A उतारा
- सहकारी संस्था, कंपनी या फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र (अकेले किसान के अलावा आवेदकों के लिए)
- फर्म या ट्रस्ट आवेदन करे तो अधिकार पत्र
- आधार कार्ड या पैन कार्ड
- बिजली का बिल
- GRAS वेबसाइट पर भरे पंजीकरण शुल्क का चालान
- खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्य लाइसेंस
- डॉरमेटरी बनाने पर निर्माण अनुमति का प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन फॉर्म महाराष्ट्र पर्यटन की वेबसाइट से या क्षेत्रीय उप संचालक, पर्यटन संचालनालय के कार्यालय से लें।
2. फॉर्म भरकर ऊपर बताए दस्तावेज और GRAS वेबसाइट पर भरे पंजीकरण शुल्क का चालान लगाएं।
3. पर्यटन के उप संचालक आवेदन की ऑनलाइन जांच करते हैं और कृषि विभाग के अधिकारी के साथ जगह का निरीक्षण करते हैं।
4. नियम पूरे होने पर उप संचालक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते हैं। इनकार के खिलाफ पहली अपील 15 दिन में पर्यटन संचालक को की जा सकती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://maharashtratourism.gov.in/wp-content/uploads/2024/11/Agri-Tourism-Policy-english.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-agri-tourism-policy-registration/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।